न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद, जिला कोटा

नि0 न0 100 / 2022	तारीख दायरा 09.05.2022	तारीख फैसला 09.09.2023

1. लटूरी बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामपाल जाति कुम्हार निवासी बडोद हाल बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्रराज दुरूस्ती

उपस्थित :–
वादीगण की और से :-- श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :-- तहसीलदार दीगोद

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी व अन्य सहखातेदार के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम बडोद तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.22 है0, 907 की 0.40 है0, 908 की 0.32 है0 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गोबरी पुत्री गोपाल दर्ज है। जबकि वादनी का नाम लटूरी बाई है। वादनी के आधार कार्ड , पेन कार्ड, बैंक खाते, एवं सभी सरकारी दस्तावेजात में वादनी का लटूरी बाई दर्ज है। अतः वादनी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बडोद तहसील दीगोद की उक्त भूमि कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गोबरी पुत्री गोपाल के स्थान पर लटूरी पत्री गोपाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तवली विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा पेश किया कि पटवारी व भू0अभि0 निरीक्षक बडोद की रिपोर्ट अनुसार गोबरी पुत्री गोपाल व लटूरी पुत्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी बडोद एक ही महिला है। गोबरी को लटूरी के नाम से भी पुकारा जाता है। गोबरी व लटूरी एक ही व्यक्ति है।

4. वादनी के [illegible]

सहवन से दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का का नाम गोबरी पुत्री गोपाल के स्थान पर लटूरी पुत्र गोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक है।

5. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में सहखातेदारान का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम बडोद सम्वत् 2075--78 , पेनकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक की छायाप्रति पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में ग्राम बडोद के ख0न0 1080 रकबा 0.22 है0, 907 की 0.40 है0, 908 की 0.32 है0 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 भूमि में सहखातेदार गोबरी पुत्री गोपाल जाति कुम्हार तथा लटूरी पुत्री गोपाल दोनो नाम एक ही महिला के है । गोबरी एवं लटूरी एक ही महिला है। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जावाब दावा में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया एवं पत्रावली की आदेशिका पर स्वयं उपस्थित होकर वादनी का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में वादनी पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के अधार पर राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गोबरी के स्थान पर लटूरी दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बडोद तहसील दीगोद कोटा में ख0न0 1080 रकबा 0.22 है0, 907 की 0.40 है0, 908 की 0.32 है0 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गोबरी पुत्री गोपाल के स्थान पर लटूरी पुत्री गोपाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/9/23
सदस्य

सदस्य
तालुका विधिक सेव
दीगोद जिला कोट